न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-661RAAJodhpur2025-184RTA225 Lrs of Bhamararam ors Vs Shridhar etc

1. अचलाराम पुत्र श्री गोमाराम
2. थानाराम पुत्र श्री गोमाराम
3. हनुमानराम पुत्र श्री गोमाराम फौत के कायम मुकामः–
   3.1. गोरधनराम पुत्र श्री हनुमानराम।
   3.2. पूरों देवी पुत्री हनुमानराम
   3.3. धोली चौधरी पुत्री हनुमानराम
   3.4. नवली देवी पुत्री हनुमानराम

   कौम जाट निवासी– सेंवरों की ढाणी, तहसील–सिणधरी जिला – बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. वागाराम पुत्र श्री खेताराम
2. बाबूराम पुत्र श्री खेताराम
3. भोमाराम पुत्र श्री खेताराम
4. रामाराम पुत्र श्री खेताराम
5. तीजों देवी धर्मपत्नी श्री खेताराम
6. लाभूराम पुत्र श्री दुर्गाराम
7. हुकमाराम पुत्र श्री दुर्गाराम

   कौम जाट निवासी सेंवरों की ढ़ाणी, तहसील–सिणधरी जिला बालोतरा।
8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा भूंका भगतसिंह तहसील–सिणधरी जिला बालोतरा।
9. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी तहसील–सिणधरी जिला बालोतरा।
10. राज. राज्य जरिये श्री तहसीलदार सिणधरी तहसील–सिणधरी जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 25 फरवरी 2026 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 अनवान वागाराम व अन्य बनाम अचलाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच

नि र्ण य

दिनांक : 20 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 अनवान वागाराम व अन्य बनाम बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 फरवरी 2026 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 मार्च 2026 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा सेंवरो की ढाणी तहसील सिणधरी के खसरा नंबर 657/313 रकबा 8.1143 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 314 रकबा 26.1143 हैक्टैयर, खसरा नंबर 316 रकबा 9.6025 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा 6.8037 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315/1 रकबा 9.5219 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2023 को आवेदन स्वीकार कर लिया गया, जिसे अदालत हाजा के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 30.10.2025 के जरिये अपील आंशिक तौर पर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए मामला पुनः निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 फरवरी 2026 के जरिये स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरी अनदेखा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से यह भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक कतई नहीं रही है, बल्कि येनकेन प्रकरेण प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के पक्ष में एक पक्षीय एवं कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर आदेश पारित किया गया, ऐसा आदेश धारा 251 (क) राज. काश्त. अधि. मे प्रतिपादित सिद्वान्तों व सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध ,अपूर्ण व माननीय न्यायालय के निर्देशो के विपरित होने से काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज. काश्त. अधि. की धारा 251 (क) के मूल तत्व 'विकल्प का सर्वथा अभाव' को देखा ही नहीं है, व निकटतम विकल्प व चलायामान रास्ता उपलब्ध होने को जानबुझ कर अनदेखा किया है। जब चलायमान व निकटतम रास्ता स्पष्ट व विधिक रूप से उपलब्ध होने के बावजुद नया व अधिक दुरी का दुसरा रास्ता अपीलान्टगण के मकानात आदि को प्रभावित करके पाने का प्रकरण प्रथम दृष्टया ही विधि से वर्जित है एवं प्रार्थी/रेस्पो. को 'आत्यतिंक आवश्यकता' हो, को कतई नहीं प्रकट नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने निकटतम विकल्प के खातेदारों को जानबुझकर पक्षकार न बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा भी मौका कमिश्नर की एकपक्षीय रिपोर्ट मात्र को आधार बनाकर वास्तविकता को अनदेखा कर बाला–बाला एकतरफा मंशा रखकर धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना के विपरित एवं न्यायहित व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के परिपेक्ष्य के विपरित जाकर अपूर्ण निर्णय व आदेश दिया है, जो कोई निर्णय व आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के लिए आने–जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं उसके द्वारा उसी रास्तां से निर्बाध रूप से आवागमन किया जा रहा है जो मौका की सेटेलाईट ईमेज से भलीभांति स्पष्ट है। रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के आवागमन हेतु खसरा नम्बर 87/248 मौजा बावड़ी जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वर्तमान में चलायमान है, जिसको प्रार्थीगण/रेस्पो. वर्तमान में आवागमन के रूप में उपयोग कर रहे। मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट तैयारी के वक्त अपीलांट्स को सूचित ही नहीं किया गया है तथा उक्त विकल्प की कोई जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन आदेश (निर्णय) पारित करने से पूर्व पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध विप्रार्थी की आपत्ति के दस्तावेजात आदि का सरसरी तौर पर ही अवलोकन तक नही किया व प्रकरण की स्थिति व वाद कारण को भी नजरअंदाज किया है। विप्रार्थीगण 4 हनुमानराम फौत है जिसके कायम मुकाम की ओर से माननीय न्यायालय श्री में पूर्व में अपील पेश की गई एवं जिनका उल्लेख निर्णय में भी रहा है एवं प्रार्थीगण को भी भलीभांति जानकारी होने बावजुद कायम मुकाम को बिना रिकार्ड पर लिये फौत पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित किया जो आरम्भ से ही शून्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों व प्रत्रावली पर गौर किये बिना विधि के विपरित जाकर आदेश जारी किया, व इतना ही नहीं सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों व न्यायिक भावना को भी समझने का प्रयास नहीं किया है, उपरोक्त कारणों से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने योग्य ही है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 अनवान वागाराम व अन्य बनाम बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 फरवरी 2026 को निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से पांच ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत सुस्पष्ट, पढनीय एवं सकारण अपीलाधीन पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स के खेत के बीच में रास्ता दिये जाने पर अपीलांट्स की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा खेत के बीच की बजाय माठ केस सहारे–सहारे रास्ता दिये जाने में सहमति प्रदान की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान में अपीलाधीन रास्ता अपीलांट्स के खेत की माठ के सहारे–सहारे प्रदान किया गया है। अपीलांट्स के अलावा अन्य सभी खातेदार अपीलाधीन रास्ते से सहमत है। उनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 04.12.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2025 के अवलोकन मुताबिक प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या एक से पांच के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते के तीन विकल्प बताये गये है। विकल्प ए जो कि बरंग आसमानी से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 314, 315, 315/1 व 316 से होते हुए आगे मुख्य सड़क मार्ग तक जुड़ता है। द्वितीय विकल्प बी जो कि बरंग हरे रंग से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 314, 304, 316 से होते हुए आगे मुख्य सड़क मार्ग तक जुड़ता है। मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते के उक्त विकल्प में खसरा संख्या 306 गै.मु. रास्ता की सरकारी भूमि काम में आती है। तृतीय विकल्प मार्क सी जो कि बरंग पीला से दर्शित है, जो खसरा संख्या 315, 315/1 व 318 से होकर आगे मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पक्षकारान् के मौके पर सुगम एवं बाधा रहित आवागमन को देखते हुए बरंग हरा से दर्शाये गये रास्ते को अपीलाधीन आदेश के जरिये कटाणी रास्ता घोषित किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट्स का मुख्य उज्र यह है कि मौके पर बरंग पीला से दर्शित रास्ता लघुतम है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट्स की भूमि के बीच में से रास्ता दिये जाने पर अपीलांट्स का पूर्व में मुख्य उज्र रास्ता खेत के बीच में से दिये जाने के बजाय माठ के सहारे–सहारे दिये जाने का रहा है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त रास्ते के विकल्प में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 306 की राजकीय भूमि आ जाने से अपेक्षाकृत रास्ते के रूप में भूमि कम व्यर्थ होगी तथा अपीलाधीन रास्ता ही सुगम एवं लघुतम साबित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत उज्र का निस्तारण करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251 की मंशा के अनुरूप मौके पर उपलब्ध सुगम एवं बाधारहित रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2022 अनवान वागाराम व अन्य बनाम बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 फरवरी 2026 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर